| | राजस्थान राजपत्र<br>विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE<br>Extraordinary |
|---|---|---|
| सत्यमेव जयते | साधिकार प्रकाशित | Published by Authority |
| | भाद्र 04, शुक्रवार, शाके 1944-अगस्त 26, 2022<br>*Bhadra 04, Friday , Saka 1944- August 26, 2022* | |

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।


**स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर**

आदेश

**जयपुर, अगस्त 22, 2022**

**संख्या एफ.2(च )( )जांच/डीएलबी/2021/3134** :-श्री अजय सिंह चैहान, पार्षद, वार्ड न0 39, नगर निगम, ग्रेटर जयपुर के विरूद्व प्राथमिक जांच में प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 के अन्तर्गत प्रकरण की न्यायिक जांच करवायी गई। न्यायिक जांच अधिकारी द्वारा प्रकरण संख्या 245/2021 में पारित आदेश दिनांक 10.08.2022 में श्री अजय सिंह चैहान, पार्षद, वार्ड न0 39, नगर निगम, ग्रेटर जयपुर के विरूद्व विभाग द्वारा लगाये गये आरोपो को प्रमाणित मानते हुए राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39(1)(घ) (iii) (vi) के अन्तर्गत दोषी पाया गया है।

अतः राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 एवं 41 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा श्री अजय सिंह चैहान, पार्षद, वार्ड न0 39, नगर निगम, ग्रेटर जयपुर को न्यायिक जांच में पारित निर्णय दिनांक 10.08.2022 को दृष्टिगत रखते हुए तुरन्त प्रभाव से सदस्यता से हटाते हुए आगामी 6 वर्ष की कालावधि तक पुर्ननिर्वाचन के लिए र्नियोग्य घोषित करती है।

**राज्यपाल की आज्ञा से,**

हृदेश कुमार शर्मा,
**निदेशक एवं संयुक्त सचिव।**

---




**राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।**